

राजस्थान सरकार  
कार्मिक (क-2) विभाग

क्रमांक प. 8 (1) कार्मिक / क-2 / 99

जयपुर, दिनांक 05 अगस्त, 2015

आज्ञा

भारत के संविधान के अनुच्छेद 316 (1) के अन्तर्गत डॉ. ललित के पंवार को कार्यभार सम्मालने की तिथि से अध्यक्ष, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर के पद पर एतदद्वारा नियुक्त किया जाता है।

राज्यपाल की आज्ञा से,

३ | ५ | १५  
(आलोक गुप्ता)  
शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. प्रमुख सचिव, माननीय राज्यपाल, राजस्थान, जयपुर।
2. सचिव (प्रथम/द्वितीय), मुख्यमंत्री, राजस्थान, जयपुर।
3. विशिष्ट सहायक/निजी सचिव, समस्त मंत्रीगण/राज्य मंत्रीगण, राजस्थान, जयपुर।
4. वरिष्ठ उप सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान, जयपुर।
5. अध्यक्ष, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
6. डॉ. ललित के, पंवार, ए-95, सिद्धार्थ नगर, जवाहर सर्किल, जयपुर।
7. सचिव, राजस्थान, लोक सेवा आयोग, अजमेर।
8. अधीक्षक, राजकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, राजस्थान, जयपुर को प्रकाशनार्थ। कृपया संबंधित प्रकाशन की तीन प्रतियां इस विभाग को शीघ्र भिजवाने की व्यवस्था करें।
9. समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव/विशिष्ट शासन सचिव/उप शासन सचिव।
10. समस्त विभागाध्यक्ष/संभागीय आयुक्त एवं जिला कलेक्टर।
11. महालेखाकार, राजस्थान, जयपुर।
12. रजिस्ट्रार, राजस्थान, उच्च न्यायालय, जयपुर/जोधपुर।
13. सचिव, राजस्थान विधान सभा, जयपुर।
14. रजिस्ट्रार, राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर।
15. सचिव, लोकायुक्त सचिवालय, जयपुर।
16. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, जयपुर।

३  
शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को भी सूचनार्थ प्रेषित है :-

1. सचिव, भारत सरकार, कार्मिक एवं लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, नई दिल्ली।
2. सचिव, संघ लोक सेवा आयोग, धौलपुर हाऊस, शाहजहां रोड, नई दिल्ली-110069

३  
शासन सचिव